

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति सबप्लान (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत जनपद-महाराजगंज की 01 परियोजना हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1321/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 06 जुलाई, 2016 व संख्या-3215/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2015-16, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति सबप्लान (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर की न०पा०प०, गोला की 01 परियोजना एवं जनपद-महाराजगंज की न०पा०परि०, महाराजगंज की 02 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण आदि कार्या सम्बन्धित अलग-अलग कुल 03 परियोजनाओं हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि स.रु 67.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु 33.86 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-531/2015/612/69-1-15-7(एस०सी०पी०)/2015, दिनांक 26 जून, 2015 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव उक्त जनपदों में से केवल जनपद-महाराजगंज की न०पा०प०, महाराजगंज की 01 परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु 7.855 लाख (रुपये सात लाख पच्चासी हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	महाराजगंज	न०पा०प०, महाराजगंज	वार्ड नं० 03 अम्बेकर नगर में पिच रोड से बब्लू के बाग तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.71	7.855
योग				15.71	7.855

(रुपये सात लाख पच्चासी हजार पाँच सौ मात्र),

-2/-

१८  
१९/१०/१५

(393172)

7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एससीएसपी/टीएसपी योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
9. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकीस्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/इकाई/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की आवाजाओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का हासा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. सेव्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-के-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५ दिनांक २५.०१.२०११ में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१७ तक व्यय हो सके।  
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "२२१७-शहरी विकास-आयोजनागत-०४-गन्दी बस्तियों का विकास-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०३-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-००-२०-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नाम डाला जायेगा।  
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जौप संख्या-१/२०१६/बी-१-७४६/दस-२०१६-२३१/२०१६, दिनांक २२.०३.२०१६ व समय-समर्य पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीप,  
*hpm*  
(एचडीपीओ सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या- /२०१६/२२७८(१)/६९-१-२०१६ तिथिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लूकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महराजगंज।
5. मुद्र्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(शशिकान्त कर्नौजिया)  
अनु सचिव।